न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 50/2005

1 श्रीराम पुत्र नारायण मृतक।
1/1 चावली पत्नी श्रीराम।
1/2 दयानन्द पुत्र श्रीराम।
1/3 सतवीर पुत्र श्रीराम।
1/4 सुरेन्द्र पुत्र श्रीराम।
2 रामकुमार पुत्र नारायणराम।
2/1 दयाराम पुत्र रामकुमार।
2/2 सन्तराम पुत्र रामकुमार समस्त जाति जाट निवासीगण खारीया तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
2/3 सुशील पुत्री रामकुमार पत्नी लेखराम जाति जाट निवासी ढ़ाणी पुनियां तहसील तारानगर जिला चूरू।
2/4 सरीता पुत्री रामकुमार पत्नी विजयपाल जाति जाट निवासी शिवदानपुरा तहसील व जिला चूरू।
3 सुरेश कुमार दत्तक पुत्र मुकन्दाराम जाति जाट निवासी खारीया तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

अपीलांट

बनाम

1 सुरजा पुत्र बीजा।
2 मुकन्दाराम पुत्र बीजा समस्त जाति मीणा निवासीगण खारीया तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
3 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।
4 राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार तहसील मलसीसर जिला झुंझुनू।

रेस्पोडेंट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्झुनूं)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखिलाफ निर्णय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू मुकदमा उनवानी राजस्थान सरकार बनाम सुरजा अन्तर्गत धारा 175 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मुकदमा नम्बर 66/2004 निर्णय दिनांक 05.04.2005

उपस्थिति :

1. श्री विनोद गिल, अधिवक्ता अपीलांट
2. राजकीय, अधिवक्ता रेस्पोडेंट

–निर्णय–

दिनांकः– 25.03.2021

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी झुंझुनू द्वारा मुकदमा संख्या 66/2004 मे पारित निर्णय दिनांक 05.04.2005 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में तहसीलदार झुंझुनू ने धारा 175 के अन्तर्गत दावा प्रस्तुत किया कि ग्राम खारीया तहसील झुंझुनू की भूमि खसरा नम्बर 113/1,113/2 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा को प्रतिपक्षी नम्बर 1 ने धारा 42ख का उल्लघन करते हुये प्रतिपक्षी संख्या 2 से 4 को हस्तान्तरित कर दिया। अत आवेदन स्वीकार कर विवादित भूमि राज्य सरकार के नाम की जावें। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि विचाराधीन आवेदन/दावा पेश होने से पूर्व रेस्पोडेंट संख्या 2 का देहान्त हो चुका था। विचारण न्यायालय ने मृत व्यक्ति के विरूद्व विचाराधीन आदेश

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

पारित कर दिया है। विचारण न्यायालय द्वारा अप्रार्थी प्रतिवादीगण की सम्यक तामील नही करवाई गई। विचारण न्यायालय में प्रकरण तामील में चल रहा था तामीली कार्यवाही पूर्ण किये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है जो विधि विरूद्व है। जानकारी से अन्दर मियाद धारा 5 के आवेदन के साथ अपील प्रस्तुत कर दी है। अपील स्वीकार की जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय द्वारा सम्यक तामील करवाकर विधि अनुसार विचाराधीन निर्णय पारित किया गया है। इसमे कोई विधिक त्रुटि नही है। अपील सारहीन है खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय द्वारा मृत व्यक्ति के विरूद्व विचाराधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधि अनुसार नलिटी है। अपीलांट्स मृतक के वारिसान है। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुये अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 के आवेदन स्वीकार किये जाकर अपीलांट को मियाद का फायदा दिया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कन्डोन किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रकरण में गुणावगुण पर पुन विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 22.04.2021 को उपस्थिति देवें।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2021 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर